



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0 30-11/2015 | १३१

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),  
जमुई।

पटना, दिनांक-24.04.24

विषय :- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 449 दिनांक 01.04.2024, पत्रांक 451 दिनांक 03.04.2024, पत्रांक 450 दिनांक 03.04.2024, पत्रांक 456 दिनांक 04.04.2024 एवं पत्रांक 457 दिनांक 04.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन में निम्न कागजात उपलब्ध नहीं है, जिनके आभाव में रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है :-

1. प्रखंड खैरा ग्राम पंचायत रायपुरा के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन में अध्यक्ष एवं बैठक संबंधी सूचना एवं तत्संबंधी तामिला संलग्न नहीं है।
2. प्रखंड झाझा ग्राम पंचायत धमना के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक के अध्यक्ष पूर्ण संलग्न नहीं है। साथ ही बैठक संबंधी निर्गत सूचना एवं तत्संबंधी पत्र का तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
3. प्रखंड झाझा ग्राम पंचायत जामुखरैया के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में बैठक संबंधी निर्गत सूचना संलग्न नहीं है। साथ ही तत्संबंधी तामिला संलग्न नहीं है।
4. प्रखंड झाझा ग्राम पंचायत बारजोर के उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में निर्गत बैठक संबंधी सूचना तथा तत्संबंधी तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
5. प्रखंड झाझा के उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी प्रतिवेदन में बैठक संबंधी निर्गत सूचना की प्रति एवं सभी सदस्यों को तत्संबंधी तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। ताकि संदर्भित रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारित की जा सके।

विश्वासभाजन  
24/4/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

24/4/24